न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 70/2019
पीठासीन अधिकारीः– श्री रवि वर्मा (आर.ए.एस.)

1. रामदेव पुत्र घीसा
2. कैलाश पुत्र घीसा
   जाति धाकड़ निवासीगण रतनपुरा तहसील देवली हाल काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र चतुर्भुज
2. श्योराज पुत्र चतुर्भुज
3. हेमराज पुत्र चतुर्भुज
   समस्त जाति जाट निवासीगण काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. कैलाश पुत्र जगदीश
5. रघुनाथ पुत्र जगदीश
   समस्त जाति धाकड़ निवासीगण काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
6. बद्री पुत्र गोकल बैरवा
7. रतन पुत्र माधु बैरवा
8. प्रहलाद पुत्र माधु बैरवा
   निवासीगण काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. मोहम्मद हुसैन एडवोकेट वादीगण
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तह. केकड़ी जिला अजमेर
3. प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं

निर्णय **दिनांकः–** 31/5/19

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण की वाद ग्रस्त भूमि वाके ग्राम काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 80 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 4.63 है. भूमि जो कि वादीगण के कब्जे काश्त व स्वयं की खातेदार की आराजी है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण 1 से 8 का कोई हक हिस्सा आदि नही है किन्तु वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादीगण 1 से 8 पडोसी खातेदार कृषक है जो आये दिन वादीगण की खातेदारी की आराजी की सीमाओं को खुर्द बुर्द कर अतिक्रमण कर फसल को नुकसान पंहुचाते है। जिससे वादीगण ने यह वाद पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाया जाने की प्र[illegible]में की है।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया [illegible]ण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या [illegible] हुआ तथा प्रतिवादीगण 1 से 3 के नोटिस बजरंगलाल ने लिए है जो प्रतिवा[illegible]वादीगण 4 [illegible] नोटिस शिवराज ने लिए है जो प्रतिवादी 4 का [illegible] के नोटिस प्रतिवादी [illegible] है। उपस्थित प्रतिवादी 1 ने अवगत कराया है कि प्रतिवादीगण 1 से 3, 4, 5, 6 से 8 सांझा परिवार के सदस्य हैं। प्रतिवादीगण 2 से 8 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुए है जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उपस्थित वादी व प्रतिवादी 1 को वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ती नही है। बहस सुनी गई संक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:46:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

वादीगण के अधिवक्ता ने बहस के दोरान वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि वादीगण की वाद ग्रस्त भूमि वाके ग्राम काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 80 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 4.63 है. भूमि जो कि वादीगण के कब्जे काश्त व स्वयं की खातेदार की आराजी है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण 1 से 8 का कोई हक हिस्सा आदि नही है किन्तु वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादीगण 1 से 8 पडोसी खातेदार कृषक है जो आये दिन वादीगण की खातेदारी की आराजी की सीमाओं को खुर्द बुर्द कर अतिक्रमण कर फसल को नुकसान पंहुचाते है तथा मना करने पर लडाई–झगडा आदि करने पर आमादा रहते है। अतः वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की आपत्ति नही है। प्रतिवादीगण 2 से 8 की ओर से प्रतिवादी 1 ने अवगत कराया कि इन्हे भी पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नही है तथा वादीगण का दावा स्वीकार फरमया जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी वादीगण की स्वयं की खातेदारी में दर्ज होना पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से प्रतीत होता है। वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी की आराजी होने से एवं प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही होने से वादपत्र प्रेमाफेसाई होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः वादीगण का दावा वाके ग्राम काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 80 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 4.63 है. भूमि की पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्थरगढी कराकर मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय आज दिनाक 31/5/21 को लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व निर्णय सरे इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:46:44 IST
Reason: SelfAttested